आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

24.07.2020

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

L.C वाद सं0– 02/2016–17 (संशोधित)
विजय कुमार तिवारी– अपीलकर्ता
बनाम
सरफुद्दीन मियां– विपक्षी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदक विजय कुमार तिवारी ग्राम मधेया, हुर (गढ़वा) के द्वारा दिनांक– 01.12.2016 को आवेदन समर्पित कर Bihar Land Reforms Section (16) 3 (1) के अंतर्गत आवेदन समर्पित कर निबंधित केवाला संख्या– 2956 दिनांक– 27.10.2016 में विक्री की गई भूमि ग्राम बलिगढ, थाना संख्या– 366, खाता संख्या– 54, प्लॉट संख्या 47, 09, 38 एवं खाता संख्या– 16, प्लॉट संख्या– 38, 10, कुल रकबा– 1.50 एकड भूमि मे वाद दायर किया है। निबंधित केवाला के समतुल्य राशि 380000 एव 10% – 38000 रूपये चालान के माध्यम से जमा किया गया है, जिसका चालान की प्रति समर्पित की गई है जो अभिलेख में संलग्न है।

दिनांक– 06.12.2016 को अभिलेख की सुनवाई प्रारंभ की गई आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक मे उभय पक्षो को नोटिस निर्गत करते हुए अलग–अलग तिथियों में सुनवाई किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रस्तावित भूमि ग्राम बलिगढ़ (गढ़वा) के खाता संख्या– 54, प्लॉट संख्या 47, 09, 38 एवं खाता संख्या– 16, प्लॉट संख्या– 38, 10 की भूमि की विक्री श्री नन्दगोपाल तिवारी ग्राम हूर के द्वारा की गई विक्रेता आवेदक के अपने गोतिया में चाचा है तथा विक्री की गई भूमि के उत्तर किनारे में आवेदक की भूमि स्थित है जो वाद से संबंधित भूमि के निबंधन केवाला में भी अंकित है। साथ ही प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया की विपक्षी (भूमि क्रेता) प्रस्तावित ग्राम बलीगढ के निवासी नही है। इनका (विपक्षी) का घर विश्रामपुर (पलामू) में है। विपक्षी के द्वारा जान बुझ कर परेशानी करने हेतु आवेदक के गोतिया परिवार के भूमि को क्रय किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया की भूमि क्रेता (विपक्षी) दूसरे गाँव के निवासी है तथा जिस भूमि को विपक्षी

24.7.2020

सरफुद्दीन मियां के द्वारा क्रय की गई है वह भूमि आवेदक के परिवार का है तथा आवेदक प्रस्तावित भूमि के सटे उनका पूर्व से भूमि है। दिनांक— 01.06.2017 को भी उभय पक्षो द्वारा उक्त संबंध में लिखित दिया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निबंधित केवाला में अंकित चौहदी के अवलोकण से स्पष्ट है कि आवेदक विजय कुमार तिवारी प्रस्तावित भूमि के चौहदीदार भी है, जिसका वर्णन निबंधित केवाला में भी है। इस प्रकार आवेदक के प्रिमेंशन (premention) आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा विपक्षी क्रेता सरफुद्दीन मियां ग्राम लालगढ, विश्रामपुर (पलामू) को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि. को आवेदक के पक्ष में एक माह के अंदर निबंधन करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

ह०/- 24.7.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढवा।

ह०/- 24.7.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढवा।

Scanned with CamScanner